

राजस्थान सरकार  
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक: प.1(3)खान/मुप-1/2022

12 2 NOV 2022  
जयपुर, दिनांक: 22 NOV 2022

आदेश

राजस्थान खान एवं भूविज्ञान सेवा नियम, 1960 के नियम 23 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित सहायक खनि अभियंता को उनके सम्मुख अंकित रिक्तियों के विरुद्ध कार्यग्रहण करने की दिनांक से खनि अभियंता के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2019-20(रिव्यू)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी
1.	श्री हरसुखराम विश्‍नोई	अनारक्षित
2.	श्री जगदीशचन्द्र मेरावत	अनारक्षित
3.	श्री ललित बाछरा (अ.जा.)	अ.जा.
4.	श्री राजेन्द्रसिंह	अनारक्षित
5.	श्री रामलाल सिंह	अनारक्षित
6.	श्री मुकेशचन्द्र मंगल	अनारक्षित
7.	श्री रामनिवास मंगल	अनारक्षित
8.	श्री मनोज कुमार शर्मा	अनारक्षित

वर्ष 2020-21(रिव्यू)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी
1.	श्री लक्ष्मीनारायण	अनारक्षित
2.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा (अजजा)	अ.ज.जा.
3.	श्री सहदेव सारण	अनारक्षित
4.	श्री प्रशान्त वेदवाल	अनारक्षित
5.	श्री वेदप्रकाश	अनारक्षित
6.	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	अनारक्षित
7.	श्री महेश प्रकाश पुरोहित	अनारक्षित
8.	श्री विनीत गहलोत	अनारक्षित
9.	श्री भगवान सिंह	अनारक्षित
10.	श्री ललित मंगल	अनारक्षित
11.	श्री आरिफ मोहम्मद शेख	अनारक्षित
12.	श्री धीरज पंवार	अनारक्षित
13.	श्री धर्मसिंह मीणा(अ.ज.जा.)	अ.ज.जा.
14.	श्री नरेन्द्र खटीक(अ.जा.)	अ.जा.
15.	श्री चंदन कुमार(अ.जा.)	अ.जा.
16.	श्री घनश्याम चौहान(अ.जा.)	अ.जा.

वर्ष 2021-22(रिव्यू)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी
1.	श्री श्याम कापडी	अनारक्षित
2.	श्री पिकराव सिंह(अ.जा.)	अ.जा.

उक्त अधिकारीगण यथावत अपने कार्यस्थल पर पूर्व की भांति कार्यरत रहेंगे। वर्ष 2019-20 (रिव्यू) में क्र.सं. 8 पर अंकित श्री मनोज कुमार शर्मा अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

नोट:- उपरोक्त पदोन्नति लंबित न्यायिक वाद यदि कोई हो के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

( नीतू मारुपाल )  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
7. निजी पत्रावली।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव